सं.सं0–7/जिला चिकित्सा पदा0–19–01/2018 69 (7) ब

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.

सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ

संबंधित सिविल सर्जन (सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 28-12-18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी– 001–निदेशन और प्रशासन–0002–जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड– 20–2210010010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹12,17,18,035/– (बारह करोड़ सत्रह लाख अट्ठारह हजार पैतीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–12(7)ब दिनांक–12.06.18, 24(7)ब दिनांक–23.07.18, 27(7)ब दिनांक–05.09.18 एवं 47(7)ब दिनांक–11.10.18 के क्रम में संलग्न विवरणी अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹12,17,18,035/– (बारह करोड़ सत्रह लाख अट्ठारह हजार पैतीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. मांग पत्र संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी– 001–निदेशन और प्रशासन–0002–जिला चिकित्सा पदाधिकारी विपत्र कोड– 20–2210010010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा महिला चिकित्सा पदाधिकारी, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पटना एवं सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन हैजा नियंत्रण योजना / 101 रोगों के बचाव एवं नियंत्रण संक्रामक रोग कर्मचारी वर्ग / मोटर चालक/ मोटर बोट सारंग चालक/ अधीक्षण उप योजना के अन्य मदों के भुगतान हेतु संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में तुरत करेगे तथा उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय ।

6. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में किसी स्तर से नहीं किया जायेगा। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. वाहन का ईधन एवं रख–रखाव इकाई में आंवटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय –समय पर र्निगत परिपत्रो में निहित निदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

9. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के कम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

10. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

11. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक–21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

12. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

13. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

14. गया जिला को कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रखरखाव तथा दवा भंडार मद में आवंटित राशि बोद्ध महोत्सव हेतु दी जा रही है ।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

16. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 69 (7) ब पटना, दिनांक : 28-12-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी

38 जिला,यथा पटना/भोजपुर/गोपालगंज/नवादा/समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/वैशाली/गया/औरंगाबाद/भागलपुर/बाँका/पुर्वी चम्पारण (मोतीहारी)/प0 चम्पारण(बेतिया)/शेखपुरा/किशनगंज जमूई/कटिहार/ पूर्णियाँ/ खगड़िया/ बक्सर/ सारण (छपरा)/नालन्दा/रोहतास (सासाराम)/बेगुसराय/मधुबनी/सीवान/सहरसा/मधेपुरा/सीतामढ़ी/दरभंगा/सुपौल/अररिया/लखीसराय/कैमूर (भभुआ)/मुंगेर/ शिवहर /जहानाबाद/ अरवल के सिविल सर्जन कार्यालय एवं संलग्न चिकित्सा पदाधिकारी कर्मचारी तथा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन हैजा नियंत्रण योजना/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अधीन 101 रोगों के बचाव एवं नियंत्रण संक्रामक रोग कर्मचारी वर्ग / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन मोटर चालक/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के अधीन मोटर बोट सारंग चालक/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के अधीन अधीक्षण उपयोजना/ सिविल सर्जन, भागलपुर के अधीन दंत इकाई/ शैक्षणिक प्रशिक्षण योजना, पटना अन्तर्गत कर्मचारी एवं पदाधिकारी/अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वा0 सेवाएँ का वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ता मद एवं अन्य मदों मे अतिरिक्त आवंटन :–

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	किराया महशूल एवं कर (14–01)	दवा भंडार (21–02)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	पटना	800000	80000	120000	155000	5000	40000	1200000	0	30000	0	0	0	0	0	0	1230000	8350/3.12.18
2	मधुबनी	4000000	400000	600000	0	44000	200000	5244000	40000	30000	10000	0	10000	2000	0	0	5336000	2728/5.11.18
3	गोपालगंज	150000	15000	22500	0	1650	7500	196650	0	30000	0	0	10000	2000	0	0	238650	2643/1.11.18
4	बेगुसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	10000	0	10000	2000	0	0	52000	2172/1.11.18
5	नवादा	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	15000	0	0	0	0	0	65000	2995/27.10.18
6	किशनगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	10000	2579/22.11.18
7	गया	10000000	500000	200000	0	100000	200000	11000000	0	100000	100000	0	10000	0	0	100000	11310000	3363/29.10.18 3740/12.12.18
8	बाँका	1500000	150000	225000	0	16500	75000	1966500	0	0	0	0	0	0	0	0	1966500	2261/25.10.18
9	जमुई	3500000	350000	525000	0	38500	175000	4588500	0	20000	10000	20000	0	0	0	0	4638500	1939/23.10.18
10	शिवहर	3000000	300000	450000	0	33000	150000	3933000	0	20000	10000	0	0	0	0	0	3963000	956/24.10.18
11	सारण(छपरा)	3500000	350000	525000	0	38500	175000	4588500	50000	30000	10000	0	10000	0	0	0	4688500	3041/23.10.18
12	समस्तीपुर	1800000	180000	270000	0	19800	90000	2359800	100000	0	10000	20000	0	0	0	0	2489800	2242/25.10.18
13	रोहतास (सासाराम)	3500000	350000	525000	0	38500	175000	4588500	0	20000	10000	0	10000	0	0	0	4628500	2829/1.12.18
14	बक्सर	1000000	100000	150000	0	11000	50000	1311000	0	0	0	0	0	0	0	0	1311000	2541/26.10.18
15	अररिया	1200000	120000	180000	0	13200	60000	1573200	15000	20000	10000	0	0	0	28000	0	1646200	2614/24.10.18
16	जहानाबाद	9000000	900000	900000	0	99000	450000	11349000	0	0	0	0	0	0	0	0	11349000	2265/25.10.18
17	पूर्णिया	35000	3500	5250	0	385	1750	45885	20000	0	0	0	0	0	0	0	65885	2936/27.10.18 2939/27.10.18
18	कटिहार	8000000	800000	800000	0	88000	400000	10088000	20000	30000	0	0	0	0	0	0	10138000	2478/26.10.18

69(7) व
28-12-18

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	किराया महशूल एवं कर (14–01)	दवा भंडार (21–02)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	औरंगाबाद	9000000	540000	900000	0	99000	450000	10989000	10000	20000	0	0	0	0	0	0	11019000	2111/25.10.18
20	अरवल	700000	70000	105000	0	7700	35000	917700	20000	20000	0	0	0	0	0	0	957700	1265/27.10.18
21	सहरसा	2000000	200000	300000	0	22000	100000	2622000	50000	30000	0	0	0	0	0	0	2702000	2363/10.12.18
22	नालन्दा	2200000	220000	330000	0	24200	110000	2884200	0	0	50000	20000	0	0	0	0	2954200	3391/24.10.18
23	मुंगेर	12000000	600000	240000	0	132000	600000	13572000	0	20000	0	0	0	0	0	0	13592000	2341/24.11.18
24	सिवान	10000000	500000	200000	0	110000	500000	11310000	0	30000	0	0	0	0	0	0	11340000	48/29.11.18
25	मोतिहारी	2200000	220000	330000	0	24200	110000	2884200	20000	20000	0	0	0	0	50000	0	2974200	2386/16.11.18
26	वैशाली	2200000	220000	330000	0	24200	110000	2884200	0	0	0	0	0	0	0	0	2884200	2366/11.12.18
27	दरभंगा	600000	60000	90000	0	6600	30000	786600	0	0	0	0	0	0	0	0	786600	2225/22.11.18
28	लखीसराय	3000000	300000	450000	0	33000	150000	3933000	0	20000	0	0	0	0	0	0	3953000	1923/11.12.18
29	बेतिया	1400000	140000	210000	0	15400	70000	1835400	0	20000	0	0	0	0	0	0	1855400	2191/11.12.18
30	तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	500000	50000	75000	0	5500	25000	655500	0	0	0	0	0	0	0	0	655500	564/1.11.18
31	दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	700000	70000	105000	0	7700	35000	917700	0	0	0	0	0	0	0	0	917700	449/26.10.18
	कुल	97485000	7788500	9162750	155000	1058535	4574250	120224035	345000	590000	255000	60000	60000	6000	78000	100000	121718035	

69(7)ब
28-12-18

(बारह करोड़ सत्रह लाख अट्ठारह हजार पैतीस) रू0 मात्र

सरकार के विशेष सचिव

D:\Bud 2018-19 Allot\Ranjit\Dist MO 2018 19 3V\varani-1

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित	वर्तमान आवंटित	कुल आवंटित	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0002—01—01)	520013000	371890000	97485000	469375000	50638000
2	जीवन यापन भत्ता (0002—01—03)	52001000	41235000	7788500	49023500	2977500
3	मकान किराया भत्ता (0002—01—04)	74474000	63422000	9162750	72584750	1889250
4	परिवहन भत्ता (0002—01—05)	4112000	1850000	155000	2005000	2107000
5	चिकित्सा भत्ता (0002—01—06)	10260000	5940400	1058535	6998935	3261065
6	अन्य भत्ता (0002—01—07)	38640000	26047600	4574250	30621850	8018150
7	त्यौहार अग्रिम (0002—01—08)	500000	0	0	0	500000
	योग 20-2210.01.001.0002.01 वेतन	**700000000**	**510385000**	**120224035**	**630609035**	**69390965**
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002—06—01)	1000000	986758	0	986758	13242
9	यात्रा व्यय (0002—11—01)	2500000	1546000	345000	1891000	609000
10	कार्यालय व्यय (0002—13—01)	5000000	4116000	590000	4706000	294000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002—13—02)	3000000	2745000	255000	3000000	0
12	दूरभाष (0002—13—03)	300000	300000	0	300000	0
13	विद्युत प्रभार (0002—13—04)	6550000	6490000	60000	6550000	0
14	विधि प्रभार (0002—13—05)	2000000	1935000	60000	1995000	5000
15	वर्दी/ पोषाक (0002—13—06)	300000	285000	6000	291000	9000
16	किराया महसूल एवं कर (0002—14—01)	1110000	1019000	78000	1097000	13000
17	प्रशिक्षण व्यय (0002—20—03)	2500000	0	0	0	2500000
18	सामग्री एवं पूर्तियॉं (0002—21—01)	1500000	1490000	0	1490000	10000
19	दवा भंडार (0002—21—02)	2400000	2300000	100000	2400000	0
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002—27—02)	1000	0	0	0	1000
21	संविदा सेवाएँ (0002—28—02)	2000000	2000000	0	2000000	0
22	मशीने एवं उपस्कर (0002—52—01)	1000	0	0	0	1000
	कुल योगः—	**730162000**	**535597758**	**121718035**	**657315793**	**72846207**

69 (7) व
28-12-18

सरकार के विशेष सचिव